

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13()अनु. यो./पोर्टल/सान्याअवि/20/ 13021

जयपुर, दिनांक 8/3/22

आदेश

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक: FD(Exp.2)/05/TAD(B.A.107)/2021-22 दिनांक 05.06.21 के द्वारा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" प्रारम्भ की गई थी। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 8 में अकितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जायेगी। विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजनान्तर्गत दिनांक 04.06.2021 तक ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजनान्तर्गत दिनांक 04.06.2021 तक ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से लम्बित एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2022 तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावे। इसके उपरान्त पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का पोर्टल स्थाई रूप से बंद किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव


जयपुर, दिनांक 8/3/22

क्रमांक : एफ 13()अनु. यो./पोर्टल/सान्याअवि/20/13022-60
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2), विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
9. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।

कार्यालय पता :- अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर,
दूरभाष नम्बर - 0141-2226697 विभागीय वेबसाइट - www.sje.rajasthan.gov.in ई-मेल-
sjeraj_edu@yahoo.com

10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि अनुप्रति योजना पोर्टल को दिनांक 31.03.2022 को स्थाई बंद किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, को भेजकर लेख है कि विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2022 तक लम्बित/आक्षेपित आवेदन पत्रों को निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि इसके उपरान्त नियमानुसार पात्र आवेदन लम्बित रहने की स्थिति में आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
13. आदेश पत्रावली।


(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)